न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 21/ 2018 जिला अलवर।

1. शर्बती देवी पत्नि स्व. देवी सिंह , जाति राजपूत निवासी ग्रम श्यामपुरा, तहसील बानसूर, जिला अलवर (राजस्थान)
2. कृष्ण सिंह पुत्र स्व. देवी सिंह , जाति राजपूत निवासी ग्रम श्यामपुरा, तहसील बानसूर, जिला अलवर (राजस्थान)
3. कमल सिंह पुत्र स्व. देवी सिंह , जाति राजपूत निवासी ग्रम श्यामपुरा, तहसील बानसूर, जिला अलवर (राजस्थान)
4. भंवर सिंह पुत्र स्व. हरि सिंह, जाति राजपूत निवासी ग्रम श्यामपुरा, तहसील बानसूर, जिला अलवर (राजस्थान)
5. सुरेन्द्र सिंह पुत्र स्व. हरि सिंह, जाति राजपूत निवासी ग्रम श्यामपुरा, तहसील बानसूर, जिला अलवर (राजस्थान)
6. राजेन्द्र सिंह पुत्र स्व. हरि सिंह, जाति राजपूत निवासी ग्रम श्यामपुरा, तहसील बानसूर, जिला अलवर (राजस्थान)
7. श्याम सिंह पुत्र स्व. भूर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्रम श्यामपुरा, तहसील बानसूर, जिला अलवर (राजस्थान)
8. चन्दो पत्नि स्व. हरि सिंह जाति राजपूत निवासी ग्रम श्यामपुरा, तहसील बानसूर, जिला अलवर (राजस्थान)

अपीलार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती गुलाब पत्नि श्री बालजी सिंह पुत्री भूरा सिंह, जाति राजपूत निवासी ग्रम नांगल सालिया, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर (राजस्थान)
2. विजय सिंह पुत्र श्रीमती गोकूल पत्नि श्री चतर सिंह पुत्री भूरासिंह जाति राजपूत निवासी ग्रम नांगल सालिया, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर (राजस्थान)
3. कृष्णा पत्नि श्री बजरंग सिंह पुत्री गोकूल पत्नि श्री चतर सिंह पुत्री भूरासिंह जाति राजपूत निवासी ग्रम सावलपुरा शेखावत, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राजस्थान)
4. गुड्डो पत्नि श्री तेजसिंह पुत्री गोकूल पत्नि श्री चतर सिंह पुत्री भूरासिंह जाति राजपूत निवासी ग्रम सावलपुरा शेखावत, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राजस्थान)
5. मंजू पत्नि श्री विक्रम सिंह पुत्री गोकूल पत्नि श्री चतर सिंह पुत्री भूरासिंह जाति राजपूत निवासी ग्रम सावलपुरा शेखावत, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राजस्थान)
6. सरोज पत्नि श्री मनोज सिंह पुत्री गोकूल पत्नि श्री चतर सिंह पुत्री भूरासिंह जाति राजपूत निवासी ग्रम खोर बसई, तहसील बहरोड, जिला अलवर (राजस्थान)

रेस्पोंडेन्ट्स

7. विरेन्द्र सिंह पुत्र स्वर्गीय हरिसिंह (फौत)

7/1 राजकंवर पत्नि स्वर्गीय विरेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी ग्रम श्यामपुरा, तहसील बानसूर, जिला अलवर(राजस्थान)

7/2 मोहन सिंह पुत्र स्वर्गीय विरेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी ग्रम श्यामपुरा, तहसील बानसूर, जिला अलवर (राजस्थान)

7/3 ध्रुवप्रताप सिंह पुत्र स्वर्गीय विरेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी ग्रम श्यामपुरा, तहसील बानसूर, जिला अलवर (राजस्थान)

7/4 सुलोचना पुत्री स्वर्गीय विरेन्द्र सिंह पत्नि जितेन्द्र सिंह ,जाति राजपूत निवासी सी– 157 सिंह भूमि खातीपुरा, जयपुर ।

7/5 मीना पुत्री स्वर्गीय विरेन्द्र सिंह पत्नि सत्येन्द्र सिंह जाति राजपूत, निवासी सी– 157 सिंह भूमि खातीपुरा, जयपुर ।

8. लक्ष्मण सिंह पुत्र भूरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम श्यामपुरा, तहसील बानसूर, जिला अलवर (राजस्थान)

9. विक्रम सिंह पुत्र भूरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम श्यामपुरा, तहसील बानसूर, जिला अलवर (राजस्थान)

10. सन्तोष उर्फ चिडिया पत्नि श्री बाबू सिंह पुत्री भूरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम शाहजहांपुर, तहसील नीमराना, जिला अलवर (राजस्थान)

11. सरपंच/ सचिव, ग्राम पंचायत खेडा, पंचायत समिति व तहसील बानसूर, जिला अलवर (राजस्थान)

प्रारूपिक रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी बानसूर, जिला अलवर दिनांक 1.6.2018

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री भगवान सहाय शर्मा
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री मुकेश सराधना

निर्णय

दिनांक–5.11.2018

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी बानसूर, जिला अलवर के निर्णय दिनांक 1.6.2018 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्राम झझांरपुरा, तहसील बानसूर, जिला अलवर स्थित आराजी रकबा 61 बीघा 2 बिस्वा के खातेदार भूर सिंह पुत्र श्योदान सिंह के फौत होने पर विरासत का नामांतरकरण संख्या 16 ग्राम पंचायत खेडा द्वारा मृतक भूर सिंह के पुत्रान देवी सिंह, हरी सिंह, राधेश्याम सिंह, लक्ष्मण सिंह, विक्रम सिंह के नाम दिनांक 9.12.1969 को तस्दीक किया गया । उक्त नामांतरकरण से व्यथित होकर मृतक खातेदार भूर सिंह की पुत्रियॉ गुलाब वगैहरा द्वारा न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बानसूर, जिला अलवर के समक्ष अपील दिंनाक 4.10.2013 को करीबन 43 वर्ष के विलम्ब से धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की, जो अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बानसूर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 1.6.2018 द्वारा नामांतरकरण में मृतक भूर सिंह की पत्नी एवं पुत्रियों का नाम दर्ज नहीं होने, जबकि पति/पिता की पैत्रिक सम्पत्ति में पत्नी एवं पुत्रियों का हक निहित होना मानते हुये स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 16 ग्राम खेडा के आदेश दिनांक 9.12.1969 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार बानसूर को मृतक भूर सिह के विधिक वारिसान की जॉच कर नामांतरकरण संख्या 16 का नये सिरे से निर्णय करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया है ।

उप खण्ड अधिकारी बानसूर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 1.6.2018 के खिलाफ अपीलान्ट्स द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी बानसूर दिनांक 1.6.2018 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि के खातेदार भूर सिंह की विरासत के नामांतरकरण की अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोंडेन्ट्स द्वारा 43 वर्ष के निराशाजनक विलम्ब से प्रस्तुत की थी तथा इस निराशाजनक विलम्ब के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय में कोई अभिमत व्यक्त किये बिना ही गुणावगुण पर निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की है । उनका कहना था कि रेस्पोंडेन्ट्स प्रश्नगत नामांतरकरण में पक्षकार नहीं थी इसलिये उन्हें अपील पेश करने की अनुमति बाबत धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिये था , लेकिन उक्त प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया जिससे अपील मेन्टेनेबल नहीं थी । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोंडेन्ट संख्या 5 विरेन्द्र सिंह पुत्र स्वर्गीय हरि सिंह का देहांत दिनांक 2.12.2017 को हो गया था । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मृतक के विधिक वारिसान को रेकार्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये बिना और मृतक के वारिसान को पक्षकार संयोजित किये बिना मृत व्यक्ति के विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो प्रारम्भ से ही प्रभाव शुन्य व विधि विरूद्ध है । उनका कहना था कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत मूल नामांतरकरण मंगवाये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है , जो सी.पी.सी. की धारा 80 की अवहेलना होने से निरस्तनीय है । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण वास्ते तलबी चल रहा था , लेकिन लोक अदालत में नियत किया जाकर अपीलान्ट संख्या 3 व 6 व उनके अधिवक्ता को सुने बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ है । उनका कहना था कि प्रारूपिक रेस्पोंडेन्ट संख्या 10 ने विवादित भूमि में से अपने हिस्से की भूमि का बेचान कर दिया जिसकी जानकारी रेस्पोंडेन्ट्स को थी, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष क्रेतागणों को पक्षकार बनाये बिना अपील पेश की थी जो मेन्टेनेबल नहीं थी , फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित कर अपील स्वीकार करते हुये नामांतरकरण खारिज करने में कानूनी भूल की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे । अपने कथनों के समर्थन मे न्यायिक दृष्टान्त 2015 (1) आर.आर.टी. 690, 2017 (2)आर.आर.टी. 1047, 2009 (1) आर.आर.टी. 139, 2013 (1) आर.आर.टी. 424, आर.आर.डी. 1991 पेज 164 एवं आर.आर.डी. 1994 पेज 11 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया ।

रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि का खातेदार भूरा सिंह था जिसके देवी सिंह, हरिसिंह, राधेश्याम सिंह, लक्ष्मण सिंह, विक्रम सिंह पुत्रान एवं गुलाब देवी, गोकुल , सन्तोष उर्फ चिडिया पुत्रियॅा एवं फूली देवी विधवा पत्नी विधिक वारिस थे , लेकिन भूरा सिंह की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण ग्र्राम पंचायत द्वारा मृतक की विधिक वारिस पुत्रियॅान व विधवा पत्नी को छोडते हुये केवल मृतक भूरा सिंह के पुत्रान के नाम तस्दीक कर दिया , जो प्रारम्भ से ही शून्य एवं विधिविरूद्ध है , जिसको चुनौती देने के लिये कोई समय सीमा बाधित नहीं है । उनका कहना था कि मृतक खातेदार भूरा सिंह की जायन्दा पुत्रियॅा एवं विधवा पत्नी हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में विधिक वारिस है एवं अपने पिता एवं पति की सम्पत्ति में हक प्राप्त करने की कानूनी अधिकारिणी है । उनका कहना था कि मृतक भूरा सिंह की विरासत का नामांतरकरण मृतक के विधिक

वारिसान की जॉच किये बिना एवं मृतक की पुत्रियों एवं विधवा पत्नि को सुनवाई का नोटिस दिये बिना न ही उनकी कोई अनापत्ति लिये बिना ग्रम पंचायत द्वारा तस्दीक करने में विधिक त्रुटि की है । रेस्पोंडेन्ट्स को प्रश्नगत नामांतरकरण की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की थी, जो अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बानसूर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 1.6.2018 द्वारा पति/पिता की पैत्रिक सम्पत्ति में पत्नी एवं पुत्रियों का हक निहित होना मानते हुये स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 16 ग्रम खेडा के आदेश दिनांक 9.12.1969 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार बानसूर को मृतक भूर सिह के विधिक वारिसान की जॉच कर नामांतरकरण संख्या 16 का नये सिरे से निर्णय करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया है । उनका कहना था कि तहसीलदार के समक्ष मृतक के विधिक वारिसान की जॉच एवं उनकी सुनवाई होकर पुनः नामांतरकरण के संबंध में निर्णय होना है, जो उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

मैने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में विवाद मृतक खातेदार भूरा सिंह की विरासत के नामांतरकरण का है, जो ग्रम पंचायत द्वारा मृतक की पुत्रियों एवं विधवा पत्नि को छोडते हुये पुत्रों के नाम तस्दीक किया है तथा प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ मृतक खातेदार भूरा सिंह की पुत्रियों की अपील अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बानसूर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 1.6.2018 द्वारा नामांतरकरण में मृतक भूर सिंह की पत्नी एवं पुत्रियों का नाम दर्ज नहीं होने, जबकि पति/पिता की पैत्रिक सम्पत्ति में पत्नी एवं पुत्रियों का हक निहित होना मानते हुये स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 16 ग्रम खेडा के आदेश दिनांक 9.12.1969 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार बानसूर को मृतक भूर सिह के विधिक वारिसान की जॉच कर नामांतरकरण संख्या 16 का नये सिरे से निर्णय करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ अपील विलम्बित थी , लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में विलम्ब के संबंध में कोई अभिमत व्यक्त नहीं किया है । हम समझते हैं कि मियाद का बिन्दु भी विधि का महत्वपूर्ण बिन्दू है जिसको नजरन्दाज नहीं किया जाना न्यायोचित नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मृतक पक्षकार के वारिसानों को पक्षकार संयोजित नहीं किया जाकर मृत व्यक्ति के खिलाफ अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने, विवादित भूमि के क्रेताओं को पक्षकार बनाये बिना अपीलाधीन आदेश पारित करने, प्रश्नगत मूल नामांतरकरण मंगवाये बिना, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण वास्ते तलबी चल रहा था , लेकिन लोक अदालत में नियत किया जाकर अपीलान्ट संख्या 3 व 6 व उनके अधिवक्ता को सुने बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किये जाने के संबंध में अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा उठाई गई आपत्तियॅा उचित प्रतीत होती है एवं अपीलाधीन आदेश विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है तथा प्रकरण उपरोक्त आपत्तियों पर उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु उप खण्ड अधिकारी बानसूर जिला अलवर को प्रतिप्रेषित किये जाने का मौहताज है । परिणामस्वरूप अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश

उप खण्ड अधिकारी बानसूर, जिला अलवर दिनांक 1.6.2018 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उप खण्ड अधिकारी बानसूर, जिला अलवर को सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु के संबंध में अभिमत व्यक्त करते हुये , मृतक पक्षकारों के वारिसानों एवं भूमि के केताओं को रेकार्ड पर लेकर, पक्षकारों की विधिवत तामील कराकर एवं प्रश्नगत मूल नामांतरकरण मंगवाया जाकर उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

अतिरिक्त (चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर